

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 32/2021 (RCMS : 2021/ 103) अनवान मोहन सिंह सुरेन्द्र सिंह उर्फ जीत सिंह जाति कम्बोज निवासी 3-बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. उम्मेद सिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर 2. गोपाल सोनी पुत्र चरणजीत लाल सोनी निवासी 22 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. शकुन्तला पत्नि मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं भरतनगर, श्रीगंगानगर 4. मनकिन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल JSW HST Township Room No. C2/12 Vaddu Torangallu Bellary Karnataka 583275 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कम्बोज उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर उपस्थित है। उपभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 143/2020 अनवानी गोपाल सोनी वगै. बनाम मनकिन्द्र सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लम्बित है जिसमें अप्रार्थी 2 व 3- गोपाल सोनी व शकुन्तला देवी ने इस आशय का पेश किया है कि वाके चक 9 जैड पटवार हल्का 9 जैड खाता संख्या 65/61 मु.न. 2, 13, 27 में कुल तादादी 13.473 हैक्टर दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण की कृषि भूमि 3.163 हैक्टर दर्ज खातेदारी है एवं प्रार्थीगण का मु.नं. 2 में कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 बी छोटी पटवार हल्का 9 जैड खाता सं. 67/51 मु.नं. 33, 50 में कुल तादादी 2.729 है. नहरी संयुक्त खाता की कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर दर्ज है प्रार्थीगण को मु.नं. 2 में अपने खेती कार्य के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मु.नं. 50 के किला नं 25 से निर्वाध रूप से बिना किसी बाधा के पिछले 50 वर्षों से चल रहा है। मु.नं. 51 में अर्सा दराज में हड़डा रोडी स्थापित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



तक पूर्व में रास्ता स्वीकृत है जिसका गांव से मिलान होता है। हड्डा रोडी से चिपता रकबा अप्रार्थीगण का है आदि आदि का मु.नं. 50 के किला नं 25 में 2 बिस्वा रास्ता दक्षिणी दिशा में स्वीकृत किये जाने का रिलिफ चाहा गया है का प्रकरण पीठासीन अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.2021 नियत है।

उनका आगे यह कथन है कि मूल प्रार्थना पत्र का प्रार्थी संख्या 01 का सगा भाई जिला श्रीगंगानगर में सहायक विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत है और प्रार्थी संख्या 01 अपने भाई के प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है और अपने खेत में जाकर आस पड़ोस के काश्तकारों को ऐलानियां कहता है कि उसका भाई साहब से मिलता रहता है तथा उसके भाई ने साहब से बात कर ली है कि कुछ दिनों में रास्ता का मामला उनके पक्ष में हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा फैसला अपने पक्ष में करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष जल्दी सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा छोटी पेशी करवाई गई है, चूंकि पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर होने वाला है इसलिए प्रार्थीगण सहायक विधि अधिकारी के प्रभाव का इस्तेमाल कर इस प्रकरण का निर्णय तुरन्त करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। अतः प्रकरण को सक्षम न्यायालय मुर्ताकेल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 143/2020 अनवानी गोपाल सोनी वगै. बनाम मनकिन्द्र सिंह वगै. उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर रखा है क्योंकि अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ऐलानिया धमकी नहीं दी गई है ना ही सहायक विधिक अधिकारी के पद का कोई दुरुपयोग किया जा रहा है और ना ही सहायक विधिक अधिकारी का कोई उक्त विचाराधीन मुकदमा से कोई लेना देना है। केवल मात्र प्रार्थी द्वारा कयास के आधार न्याय न मिलने की आशंका जाहिर की है, जो मुकदमा मुंतकिल का कोई आधार नहीं बनता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में 2020 आरबीजे 526, 2020 आबीजे 246 पेश करते हुए मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी मोहन सिंह का भाई जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत है इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल करवाने का कोई ठोस आधार प्रार्थी के पास नहीं है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 29.07.2021 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी मोहन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 143/2020 अनवानी गोपाल सोनी वगैरहा बनाम मनकिन्द्र सिंह वगैरहा को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?

प्रार्थी मोहन सिंह द्वारा यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि अप्रार्थी का भाई सहायक विधि अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय में नियुक्त है और पीठासीन अधिकारी उसके प्रभाव में है इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर सहायक विधि अधिकारी का प्रभाव होने सम्बन्धी कथन यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुत्तकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधार प्रकृति है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर